न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **राकेश गोरा,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण सं. 471/2026

करणसिंह पुत्र नारायसिंह, उम्र-21 वर्ष, निवासी-डिंगाई, पुलिस थाना-गुडा एन्दला, जिला-पाली (राज.)

.... प्रार्थी/अभियुक्त

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, पाली। .... अप्रार्थी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.
सी.आर. नंबर **261/2026**, पुलिस थाना **कोतवाली, पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **87, 127(4), 64(2) (एम),115(2),76, 3(5) बीएनएस, 2023**

उपस्थित:-
1. **श्री जगदीश कुमार प्रजापत,** अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास**, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक: 16.06.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **करणसिंह** की तरफ से जमानत का यह अग्रिम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. माननीय सेशन न्यायालय, पाली के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से प्रकरण अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलायी गयी। श्रीमान अपर सेशन न्यायाधीश, पाली ग्रीष्मावकाश पर है। अतः लिंक अधिकारी होने के नाते यह पत्रावली मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक

12.05.2026 को प्रार्थीया/पीड़िता ने अपने पिता के साथ पुलिस थाना कोतवाली में एक टंकितशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी उम्र ल्रगभग 18 वर्ष है। दिनांक 03.04.2026 को रात्रि के करीबन 2.00 बजे करणसिंह का उसके पास फोन आया और उसके डराकर रात को घर से बाहर बुलाकर मोटरसाईकिल पर बिठाकर जबरन पणिहारी चौराहा लेकर और वहां अजयपालसिंह की कार में उसकी इच्छा के विरूद्ध बिठाकर जोधपुर में बाल समन्द नामक ऐरिया में एक होटल में ले गये। इस होटल उसे दिनांक 03.04.2026 से दिनांक 20.04.2026 तक बंधक बनाकर रखा। दिनांक 09.04.2026 को दवाब डालकर पाली कोतवाली में लेकर आया और उसके बयान करवाये। होटल में उसके साथ करणसिंह ने कई बार खोटे काम किये, उसने विरोध किया फिर भी वो नहीं माना। उसे रोज ठण्डा पिलाता जिसे पीने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता, उसे हमेशा डराता धमकाता रहता। दिनांक 03.04.2026 से दिनांक 20.04.2026 तक जोधपुर रहने तक मुम्बई से हमेशा दिन में 5-7 बार पर्वतसिंह, रामु देवी, तथा करणसिंह की दादी राधा तथा करणसिंह के पिता नारायणसिंह व पर्वतसिंह पुत्र मांगुसिंहजी, कानाराम तथा पूरणसिंह के फोन आते थे। इन सभी ने पंडयत्र रचकर उसे मुम्बई में पर्वतसिंह के घर ले गये और वहां पर करीबन दिनांक 10-05-2026 तक रखा। मुम्बई में यह सभी लोग उसके साथ गाली गलौच मारपीट इत्यादि करते। दिनांक 09.05.2026 को उसने करणसिंह से मोबाईल मांगा की उसे उसके पापा-मम्मी से बात करनी है तब इन्होंने मोबाईल देने से मना कर दिया तब उक्त सभी लोग व करणसिंह ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसके चहरे पर, गर्दन पर चोटे आई, पर्वतसिंह ने उसके ब्लाउज को खिचा और फाड दिया जिससे वह अर्द्धनग्न हो गई। दिनांक 20.04.2026 से दिनांक 09.05.2026 तक करणसिंह ने उसके साथ कहीं बार खोटा काम किया। उसने दिनांक 09.05.2026 को इसकी इतला उसके माता-पिता को दी जिस पर दिनांक 10.05.2026 को उसके पिता जब्बरसिंह व फुफाजी जोधसिंह मुम्बई आये और पुलिस कार्यवाही करके उसे पाली लेकर आये। ....इत्यादि रिपोर्ट पर पुलिास थाना कोतवाली, पाली में प्रकरण सं. 261/2026 धारा 87, 127 (4), 64 (2) (एम), 115 (2), 76, 3 (5) बीएनएस 2023 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में पुलिस थाना प्राथी को मिथ्या फंसाया जा रहा है। प्रार्थीया/पीड़िता व प्रार्थी/अभियुक्त के मध्य प्रेम संबंध थे। प्रार्थीया/पीडिता के पिता उसकी सगाई किसी अन्य लडके के साथ

कर उसकी शादी करना चाहते है जबकि प्रार्थीया/पीड़िता अन्य लडके से शादी नहीं करना चाहती है, इस कारण प्रार्थीया/पीड़िता स्वयं उसकी इच्छा से सहमत होकर प्रार्थी/अभियुक्त के साथ जोधपुर आई और दिनांक 03.04.2026 को आर्य समाज में विवाह कर वैदिक विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया। विवाह के बाद प्रार्थीया/पीड़िता व प्रार्थी/अभियुक्त हंसी खुशी बतौर पति पत्नी निवास करने लगे। प्रार्थीया/पीड़िता को उनके परिवार द्वारा धमकाने पर उनके द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पीटीशन पेश की गयी एवं पीटीशन स्वीकार होने के बाद प्रार्थीया/पीड़िता व प्रार्थी/अभियुक्त मुम्बई चले गये और बतौर पति पत्नी निवास करने लगे। उसके बाद प्रार्थीया/पीड़िता को पिता रिश्तेदारों के साथ षडयंत्र पूर्वक मुम्बई आया और हाथाजोडी राजीखुशी प्रार्थीया/पीड़िता को दिनांक 10.05.2026 को मारवाड लेकर आये। उसके बाद प्रार्थीया/पीड़िता पर दवाब बनाकर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं होनी है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तो की पालना करने के लिए तैयार हैं, वह गवाहान को डरायेगा, धमकायेगा नहीं, वह अनुसंधान में सहयोग करने को तैयार रहेगा। प्रार्थी/अभियुक्त मौतबिर जमानत पेश करने के लिए तैयार हैं। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जावे। अपने तर्को के समर्थन में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थीया/पीड़िता का शपथ पत्र व वैदिक विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये।

4. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध करते निवेदन किया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस बी क्रि. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राज.** में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

Sr. No.	*FIR No. & P.S.*	*Section*	*Case No*	*Release on any previous occasion (If any)*
-	-NIL-	NIL-	NIL-	NIL-

6. उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

7. केस डायरी तथा समस्त तथ्यों के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 87, 61(2) (एम), 127(4) बीएनएस, 2023 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थीया/पीड़िता द्वारा संरक्षण हेतु प्रस्तुत याचिका में पारित आदेश दिनांक 07.04.2026 के पश्चात दिनांक 14.05.2026 को अनुसंधान के दौरान प्रार्थीया/पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान लेखबद्ध किये गये जिसमें उसने अपने साथ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्य किये जाने के तथ्य प्रकट किए है। पूर्व में संरक्षण हेतु प्रस्तुत याचिका किन परिस्थितियों में प्रस्तुत किी गयी है तथा प्रार्थीया/पीड़िता की ओर से तैयार शपथ पत्र जो अभियुक्त ने पेश किया है, वह किन परिस्थितियों में मुर्तिब किया गया है, वह अनुसंधान के दौरान संकलित होने वाली साक्ष्य का विषय है जिस पर इस स्तर पर टिप्पणी किया जाना आवश्यक नहीं है। इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 87, 61(2) (एम), 127(4) बीएनएस, 2023 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अनुसंधान के दौरान प्रार्थीया/पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस, पुलिस बयान व मेडीकल रिपोर्ट अभिलेख पर प्राप्त किये गये हैं। प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्या या निराधार आलिप्त किया जा रहा हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रार्थीया/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है।

8. अतः इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं करते हुए मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं हैं।

<u>आदेश</u>

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त **करणसिंह** पुत्र नारायसिंह, उम्र-21 वर्ष, निवासी-डिंगाई, पुलिस थाना-गुडा एन्दला, जिला-पाली (राज.) की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस.

अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(राकेश गोरा)
(लिंक अधिकारी)
अपर सेशन न्यायाधीश, पाली

10. आदेश आज दिनांक 16.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश गोरा)
(लिंक अधिकारी)
अपर सेशन न्यायाधीश, पाली

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"